न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 33/2022

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. किशोरसिंह मेवाड़ा पुत्र पी0आर0एस0, जाति मेवाड़ा (कलाल) तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक – 25/7/22

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां पटवार हल्का भू0अभि0 निरी0 गुड़ा कलां, तह0 सोजत जिला पाली के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 199 रकबा 0.0500 है0 किस्म गै0मु0 वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी का रहवासी कब्जासुदा है जिस पर प्रार्थी काफी समय से बिना रोक टोक के आबादी क्षेत्र में होने की वजह से काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 118 थे और वादग्रस्त भूमि की पूर्व की जमाबंदी सम्वत् 2025–28 में स्पष्टतः उक्त भूमि की किस्म आबादी दर्शायी गयी है। वादग्रस्त कृषि भूमि के दौराने सैटलमेंट आबादी किस्म गै0मु0 दर्ज हो गई। जिसकी प्रार्थी की जानकारी नही थी क्योंकि प्रार्थी को यही तथ्य की जानकारी है कि जिस पर काबिज काश्त है वह आबादी क्षेत्र में है। प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में पटटे हेतु आवेदन करने पर प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी जिस भूमि पर काबिज है वह उसकी किस्म अब गै0मु0 हो गई है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का वाद, अंपील, निगरानी किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 199 की किस्म गै0मु0 से आबादी दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करना चाहने से जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 25.07.2022 को बन्द किया गया। तहसीलदार, सोजत से उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौका एवं रेकर्ड के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/1948 दिनांक 08.07.2022 के जरिए अपनी रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है कि सरहद मौजा गुड़ाकलां के खसरा नबंर 199 कुल रकबा 0.0500 है0 किस्म गै0मु0 सिवायचक दर्ज है। खसरा नंबर 199 ग्राम गुड़ाकलां की आबादी भूमि के खसरा नंबर 195 किस्म गै0मु0 आबादी से सटा हुआ खसरा है। ग्राम गुड़ाकलां का खसरा नंबर 199 भू0प्रबंध बन्दोबस्त से पूर्व खसरा नंबर 118 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029–30 में कालम नंबर 05 में किस्म गै0मु0 आबादी एवं कालम नंबर 02 में 0.05 है0 क्षेत्रफल दर्ज है। चूंकि

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

खसरा नंबर 199 वर्तमान जो कि भूप्रबंध से पूर्व खसरा नंबर 118 से बना हुआ है। खसरा नंबर 199 में वर्तमान में आबादी बसी हुई है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में खसरा गिरदावरी ख0न0 199 सरहद मौजा गुडाकलां, जमाबंदी पुराना ख0न0 188, जमाबंदी वर्तमान की खसरा नंबर 199, भू0नक्शा खसरा नंबर 199 भूमि क्षेत्रफल 0.0500 हे0 प्रमाणित छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित भूमि मौजा गुड़ाकलां के खसरा नंबर 199 की किस्म गै0मु0 से आबादी दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत सूनी गई। चूकि ग्राम गुडाकंला के खसरा नम्बर 199 भूप्रबन्ध बन्दोबस्त से पूर्व खसरा नम्बर 118 मिलान एवं क्षेत्रफल संवत 2029–30 में प्रार्थीत भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 199 दर्ज होते समय किस्म गै0मु0 आबादी के स्थान पर गै0मु0 दर्ज होना साबित होता है जिसे पुनः दुरूस्त कर गुड़ाकलां के खसरा नंबर 199 की किस्म गै0मु0 से गै0मु0 आबादी दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा गुड़ाकलां के खसरा नंबर 199 की किस्म गै0मु0 के स्थान पर गै0मु0 आबादी दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोप्रकाश जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को सरे ईजंलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोप्रकाश जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)